

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या :- 22/2017

न्यू कॉलोनी विकास समिति चौमू जरिये मंत्री श्री प्रदीप तिवाडी पुत्र श्री यतेन्द्र मोहन तिवाडी, जाति ब्राह्मण, निवासी न्यू कॉलोनी, कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. चौमू गृह निर्माण सहकारी समिति चौमू जरिये अध्यक्ष श्री रविन्द्र नाथ पुत्र श्री ब्रह्मदत्त गौड़, जाति ब्राह्मण, निवासी रेलवे स्टेशन, न्यू कॉलोनी, कस्बा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थित अधिवक्तागण:

- 1— श्री बनवारी लाल शर्मा प्रार्थी की ओर से।
- 2— श्री प्रमोद शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से।

:- निर्णय :-

दिनांक :- 22-11-2017

1— यह रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत अदेश 47 नियम 1 सी.पी.सी सहपठित धारा 151 सी.पी.सी विरुद्ध निर्णय न्यायालय हाजा दिनांक 03-09-1982 अन्तर्गत अपील संख्या 101/1977 प्रस्तुत किया गया है।

2— प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3-9-1982 में Error Apparent on the Face of the record कारित होने से रिव्यू किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम चौमूं खसरा नम्बर 755/2 की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पूर्व में ठिकाना सामोद की थी। ठिकानेदार श्री राजसिंह जी ने सम्वत 2006 में 4800 गज भूमि श्री अर्जुन लाल को माफी



राज...
...प्राधिकारी
जयपुर

में दे दी गई। अर्जुन लाल के वारिसों द्वारा यह भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रार्थी संख्या 1 चौमूं गृह निर्माण सहकारी समिति को दिनांक 22-01-1973 को विक्रय कर दी गई तथा समिति ने भूमि पर पट्टे काट कर न्यू कॉलोनी नाम से एक आवासीय कॉलोनी विकसित की जिस पर न्यू कॉलोनी विकास समिति के सदस्य निवास कर रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष एक घोषणात्मक वाद संख्या 143/1975 प्रस्तुत किया गया था जिसमें निर्णय दिनांक 19-8-1976 के द्वारा खसरा नम्बर 755/2 की 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 12 बिस्वा (4800 गज) भूमि गैर मुमकिन बहक गृह निर्माण सहकारी समिति चौमूं दर्ज किया जाने के आदेश पारित किये हैं। उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं द्वारा एक अपील प्रस्तुत की गई जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 3-9-1982 को महज 80 सी.पी.सी का नोटिस नहीं देने के कारण स्वीकार कर लिया गया तथा उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 19-8-1976 को निरस्त फरमा दिया गया। जबकि उक्त भूमि पर न्यू कॉलोनी निर्णय दिनांक 19-8-1976 से पूर्व ही विकसित हो गई थी। नगरपालिका चौमूं द्वारा आवंटित भूधारकों को भूखण्डों पर निर्माण की स्वीकृति भी जारी की गई थी। भूखण्ड धारकों को उक्त रिव्यू अधीन निर्णय की कोई जानकारी नहीं रही है। भूखण्ड धारक अर्सेदराज से वादग्रस्त भूमि पर पुख्ता निर्माण कर निवास कर रहे हैं तथा रिव्यू अधीन निर्णय से व्यथित एवं प्रभावित पक्षकार है इसलिए धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की इजाजत चाही गई है। रिव्यू अधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15-9-2017 को जयपुर विकास प्राधिकरण के कारिन्दों द्वारा नोटिस प्रदान करने पर कागजात तलाश किये जाने पर दिनांक 16-10-2017 को हुई तत्पश्चात् कानूनी सलाह लेकर तथा प्रमाणित नकल ली जाकर यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम भी पेश कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया गया है। रिव्यू अधीन निर्णय मात्र इस आधार पर पारित किया गया है कि राज्य सरकार को 80 सी.पी.सी का नोटिस नहीं दिया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में वाद अप्रार्थी



राजस्व अधिकारी
जयपुर

संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत किया जाने पर तनकियात का निर्माण किया गया है जिसमें 80 सी.पी.सी का नोटिस नहीं दिये जाने के कारण वाद खारिज किये जाने योग्य हो, इस आशय की कोई तनकी नहीं बनाई गयी है। न्यायालय हाजा द्वारा इस तथ्य को नजरअन्दाज करते हुए रिव्यू अधीन निर्णय पारित कर Error Apparent on the Face of the record कारित की है अतः उक्त निर्णय रिव्यू किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा उपर्युक्त कथन करते हुए यह निवेदन किया कि प्रार्थी को रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाकर तथा प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार करते हुए निर्णय दिनांक 3-9-1982 अन्तर्गत अपील संख्या 101/1977 रिव्यू किया जाकर निरस्त फरमाया जावे तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के निर्णय दिनांक 19-8-1976 को यथावत रखा जावे।

3- प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये। रिव्यू अधीन निर्णय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4- अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि वह रिव्यू अधीन निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा वादग्रस्त भूमि पर रिहायशी मकान आदि निर्माण कर निवास कर रहे हैं। रिव्यू अधीन निर्णय की उन्हें पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है तथा यदि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 3-9-1982 को रिव्यू किया जाकर निरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थी अपने न्यायिक अधिकारों से वंचित हो जाएगा। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी, प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए रिव्यू अधीन निर्णय को रिव्यू किया जाकर निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19-8-1976 को यथावत रखा जावे। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 के द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की गई।

5- रिव्यू प्रार्थना पत्र, रिव्यू अधीन निर्णय का अवलोकन किया गया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के सलंगन जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं उनसे यह प्रथमदृष्टया स्पष्ट होता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर



है कि वादग्रस्त भूमि पर चौमू गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आवासीय कॉलोनी विकसित होना पाया जाता है तथा नगरपालिका द्वारा कॉलोनी में निर्माण की अनुमति भी प्रदान की गई है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी न्यू कॉलोनी विकास समिति प्रकरण में व्यथित पक्षकार है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम में कथन किया गया है कि रिव्यू अधीन निर्णय की उन्हें पूर्व में कोई जानकारी नहीं रही है तथा दिनांक 15-9-2017 को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिये जाने पर कागजात तलाश करने पर रिव्यू अधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी 16-10-2017 को हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्राधिकरण द्वारा दिये गये नोटिस दिनांक 15-9-2017 की प्रति प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र धारा 5 में वर्णित तथ्य एवं कारण सन्तोषजनक प्रतीत होता है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 स्वीकार किया जाकर रिव्यू प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। जहां तक रिव्यू प्रार्थना पत्र के गुणावगुण का प्रश्न है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि रिव्यू अधीन निर्णय महज इस आधार पर पारित किया गया है कि राजस्थान सरकार को धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस नहीं दिये जाने से दावा मेन्टेनेबल नहीं है जो कि एक **Error Apparent on the Face of the record** है इसलिए उक्त निर्णय रिव्यू किया जाकर निरस्त किया जावे। न्यायालय हाजा द्वारा रिव्यू अधीन निर्णय में **Error Apparent on the Face of the record** किस प्रकार की गई है इस तथ्य को न तो प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया गया है तथा न ही अपील सम्बन्धी पत्रावली का अवलोकन से यह तथ्य साबित होता है। प्रार्थी द्वारा राजस्थान सरकार को 80 सी.पी.सी का नोटिस दिया गया हो इस आशय का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अपील अधीन निर्णय पारित करते समय न्यायालय हाजा द्वारा किन्ही महत्वपूर्ण दस्तावेजात का अवलोकन किये बगैर उक्त निर्णय पारित किया हो। रिव्यू अधीन निर्णय में **Error Apparent on the Face of the record** कारित होने जैसी कोई बात दृष्टिगोचर नहीं



राजस्व अंशिल प्राधिकारी
जयपुर

होती है तथा वह रिव्यू किया जाने की परिधि में नहीं आता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य है।

6- अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

7- निर्णय आज दिनांक 22-11-2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

